सेवा में,
vkj{kh egkfun'kd
झारखंड सरकार, राँची।

विषय : थाना–चुटिया, अनुमंडल–राँची सदर, जिला–राँची में दायर प्राथमिकी संख्या–36/10, दिनांक 7.3.2010 में अग्रेतर अतिरिक्त अनुसंधान का आदेश करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राथमिकी मेरे, श्री समीर लोहिया और श्री राकेश पांडे के विरुद्ध सौभिक चट्टोपाध्याय, जी–724, आर्किड रेजिडेन्सी, थाना–सोनारी, जमशेदपुर द्वारा 7 मार्च 2010 को दायर की गई थी। मुझे जानकारी मिली है कि अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में अनुसंधानपूर्ण मानकर हमलोगों के विरुद्ध आरोप को सही ठहराते हुए दिनांक 31 अगस्त 2010 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के यहाँ आरोप पत्र समर्पित कर दिया है। प्राथमिकी सहित आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के दौरान जांच के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी किया है, वरीय अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और अकस्मात अनुसंधान को पूरा मान कर आरोप पत्र समर्पित कर दिया है। मैं आपका ध्यान इस संदर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ :–

1. दिनांक 7 मार्च 2010 को मेरे प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सौभिक चट्टोपाध्याय द्वारा हंगामा खड़ा करने के उपरांत मैंने इसकी लिखित सूचना राँची के वरीय पुलिस अधीक्षक को दे दिया था। बाद में दूरभाष पर संपर्क करने पर वरीय आरक्षी अधीक्षक से जानकारी मिली की उन्होंने मेरे शिकायत वाद को आवश्यक जांच हेतु सक्षम अधिकारी के यहाँ अग्रसारित कर दिया है। मगर अनुसंधानकर्ता ने इस बारे में कोई जांच नहीं किया है। इसकी जांच भी आवश्यक है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची के यहाँ दी गयी लिखित सूचना की छायाप्रति संलग्न है।

2. प्रासंगिक प्राथमिकी में उल्लेख है कि सौभिक चट्टोपाध्याय मेरे प्रेस कांफ्रेंस में घुस कर बैठे थे और प्रेस कांफ्रेंस आरंभ हुआ तो इसे बाधित करने की नीयत से खड़ा होकर बोलने लगे। इनके इस कृत्य और नीयत के बारे में और मेरे कांफ्रेंस में अनधिकृत प्रवेश कर बाधा उत्पन्न करने के उनके उद्देश्य और कृत्य के औचित्य/अनौचित्य के बारे में अनुसंधानकर्ता ने कोई जांच नहीं किया है।

3. प्राथमिकी में उल्लेख नहीं है कि जब सौभिक चट्टोपाधाय मेरे प्रेस कांफ्रेंस में अपने दो साथियों के साथ बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो उन्हें निकल जाने के लिए कहने के सिवाय मैंने उन्हें किसी प्रकार की धमकी दी हो। इसके बावजूद प्रेस कांफ्रेंस स्थल के काफी दूर जाकर उनपर किए गए तथाकथित हमला को मेरे प्रेस कांफ्रेंस के साथ जोड़ने का क्या आधार है, इसकी विवेचना अथवा इस बिन्दु पर अनुसंधान नहीं हुआ है।

4. होटल ग्रीन होराइजन के जिन कर्मियों का साक्ष्य अनुसंधान के दौरान लिया गया है, उन्होंने होटल में अथवा प्रेस कांफ्रेंस में कोई भी घटना होने की बात नहीं कही है। फिर अनुसंधानकर्ता ने सौभिक चट्टोपाध्याय द्वारा प्राथमिकी में दिए गए बयान को किस आधार पर सही मान लिया है। इस बिन्दु पर अग्रेतर अनुसंधान की जरुरत है।

5. चिकित्सक द्वारा इस बारे में दी गयी रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सौभिक चट्टोपाध्याय को आई चोट का कारण उनपर किसी हमला के कारण लगी है। ऐसी चोट सीढ़ी से या किसी ऊंचे स्थान से गिर जाने के कारण या किसी कड़ी वस्तु से टकरा जाने के कारण या किसी अन्य कारण से भी लग सकती है। इस बिन्दु पर अनुसंधान नहीं हुआ है।

6. प्राथमिकी में उल्लेख है कि दो व्यक्तियों ने लोहे की छड़ से हमला कर पहले उनकी कार का शीशा तोड़ा, फिर उन्हें मारा। घटना स्थल का मुआयना करने के बाद अनुसंधानकर्ता को वहाँ पर टुटे हुए कांच के बिखरे टुकड़े नहीं मिले, संबंधित कार को अनुसंधानकर्ता ने जब्त नहीं किया। कार का शीशा टूटने के बारे में बीमा अथवा एम.भी.आई. अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी से अनुसंधानकर्ता ने कोई प्रतिवेदन नहीं लिया और अनुसंधान प्रतिवेदन में उन्होंने इस बारे में कोई सूचना, मंतव्य या निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया है। यानी अनुसंधान में इस पहलू की अनदेखी की गई है। अतः इस बिन्दु पर भी अतिरिक्त अनुसंधान जरुरी है।

7. अभिषेक और सतीश नामक दो व्यक्तियों का उल्लेख प्राथमिकी में सौभिक चट्टोपाध्याय ने हमला करने वालों के रूप में किया है और उन्हें मेरा नजदीकी रिश्तेदार बताया है। इन दोनों का मेरे साथ क्या रिश्ता है, इस बिन्दु पर भी कोई अनुसंधान नहीं हुआ है। इस बारे में मुझसे भी कोई जानकारी लेने का प्रयत्न अनुसंधानकर्ता ने नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता ने इस बिन्दु पर भी जांच नहीं किया है कि इन दोनें व्यक्तियों का नाम अच्छी तरह जानने के बावजूद सौभिक चट्टोपाध्याय उनका पता–ठिकाना क्यों नहीं बता पा रहे हैं। अनुसंधानकर्ता ने उनसे यह जानने का प्रयास भी नहीं किया है कि ये दोनों किस गांव, शहर, राज्य या देश में रहते हैं। अनुसंधान में यह भी पता करने का प्रयत्न नहीं हुआ है कि दोनों व्यक्तियों का अस्तित्व केवल सौभिक चट्टोपाध्याय की कल्पना की उपज है यह इन दोनों व्यक्तियों का वास्तव में अस्तित्व है भी या नहीं ? घटना के इस पहलू की जांच नहीं हुई है।

8. ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या मुझे फंसाने के लिए सौभिक चट्टोपाध्याय ने अपने दो साथियों से अपनी प्रायोजित पिटाई कर प्राथमिकी दर्ज करने का नाटक किया है? क्या सौभिक चट्टोपाध्याय ने मेरे प्रेस कांफ्रेंस में अनधिकृत प्रवेश करने के पहले ही इन सारी चीजों का तानाबाना बुन लिया था? इस दिशा में जांच की कोई पहल अनुसंधान के दौरान नहीं हुई है।

9. अनुसंधानकर्ता ने यह जानने का प्रयत्न भी नहीं किया है कि सौभिक चट्टोपाध्याय की पृष्ठ भूमि क्या है? जमशेदपुर की एक अदालत में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा चल रहा है। यह व्यक्ति झारखंड के लौह अयस्क धोटाला के एक प्रमुख अभियुक्त विनोद सिन्हा की फैक्ट्री शिवरामा स्पांज जिसका नाम बदल कर एमार एलॉयज हो गया है, में काम करता है। आयकर विभाग, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की नजरों में यह व्यक्ति जमशेदपुर से नगद रुपया कोलकाता ले जाकर वहाँ की कतिपय कम्पनियों से इसके बदले चेक लेकर काला धन को सफेद बनाने का काम घोटालाबाजों के लिए करते रहा है। ये सभी जानकारियां मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से अनुसंधानकार्ता को मिल जाती यदि इस बिन्दु पर वे अनुसंधान करते। अतः इस दिशा में अग्रेतर अतिरिक्त अनुसंधान की जरुरत है।

10. मैं विधानसभा के भीतर और बाहर सौभिक और इसके साथियों से जुड़े घोटाले का मामला उठाते रहा हूँ। प्रासंगिक प्राथमिकी के पहले पाराग्राफ की अंतिम पंक्ति में इस बारे में उसने उल्लेख भी किया है कि मैं इस विषय को राजनीतिक रंग दे देता हूँ। परंतु इस बिन्दु पर जांच करने की कोशिश अनुसंधान के दौरान नहीं हुई है।

11. मेरे प्रेस कांफ्रेंस में श्री समीर लोहिया और श्री राकेश पांडे मौजूद नहीं थे। वे उस दिन रांची में भी थे या नहीं थे, इस बारे में जानकारी करना अनुसंधान के दौरान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके बावजूद मेरे साथ ही इन दोनों व्यक्तियों पर भी भा.द.वि. की धारा 504/341/323/427/120(बी.)/34 एवं अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। स्पष्ट है कि ऐसा बिना किसी अनुसंधान के किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी में धारा 120बी का उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में मेरे सहित इन दोनों व्यक्तियों पर आरोप पत्र में धारा 120बी जोड़े जाने के औचित्य पर अतिरिक्त अनुसंधान की आवश्यकता है।

12. जमशेदपुर निवासी सौभिक चट्टोपाध्याय को रांची में आयोजित मेरे प्रेस कांफ्रेंस की तिथि, समय और स्थान के साथ ही प्रेस कांफ्रेंस की विषय वस्तु की जानकारी कैसे मिली और वह अपने साथ चाईबासा और जमशेदपुर के दो व्यक्तियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर किस उद्देश्य से रांची में आयोजित मेरे संवाददाता सम्मेलन में लाया, इसके बारे में भी अतिरिक्त अनुसंधान आवश्यक है।

13. अरोप पत्र के पृष्ठ 14 पर वरीय पदाधिकारी द्वारा अनुसंधानकर्ता को अनुपालन हेतु 6 बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के ये बिन्दु निम्नांकित है :–

    1. कांड के सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के पवता का सत्यापन कर अविलम्ब गिरफ्तार करें।
    2. घटना का वास्तविक कारण/पूर्व से चल रहे विवाद का पता कर कांड दैनिकी में अंकित करें।
    3. प्रेस कांफ्रेंस में हुए विवाद से संबंधित ऑडियो–वीडियो सी.डी. को बरामद करें।
    4. दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें।
    5. अन्य स्वतंत्र साक्षियों का बयान लेकर कांड दैनिकी में अंकित करें।
    6. उपरोक्त दिए गए निर्देशों का अनुपालन त्वरित गति से करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित करें।

    उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में केवल खानापूर्ति हुई है और कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। इसलिए इन बिन्दुओं पर अतिरिक्त अनुसंधान की आवश्यकता है।

14. आरोप पत्र में उल्लेख है कि अनुसंधानकर्ता ने इस बारे में मुझसे पूछताछ किया तो मैं संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, यह सत्य नहीं है। अनुसंधानकर्ता ने इस बारे में अब तक मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया है। यदि पूछताछ किए बिना उन्होंने मनगढंत निष्कर्ष निकाल लिया है तो यह अनुचित है। इसलिए इस बारे में अतिरिक्त अनुसंधान किया जाए।

15. भा.द.वि. की धारा 173/8 में अग्रेतर अतिरिक्त अनुसंधान का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले में अग्रेतर अतिरिक्त अनुसंधान का निर्देश देने की कृपा करेंगे ताकि तथ्य सामने आ सके।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼l j;l jk;½